1

मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

ई–मेल rmsc.mnjy@gmail.com
दूरभाषः 0141–2224878

एफ04 ( ) एमएनजेवाई/2013/6615 दिनांक 11/12/13

समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) राज0।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषय :–जोन स्तर पर गठित Equipment Maintainance and Repair Workshop (EMRW) में आरक्षित उपकरणों के क्रम में।

सन्दर्भ :–प्रमुख शासन सचिव महोदय का पत्रांक 2309 दि0 14.05.13 तथा निदेशक (जन स्वा0) का पत्रांक 2587 दि0 04.06.13।

उपरोक्त सन्दर्भ एवं विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों की क्रियान्वति हेतु उपकरणों की बैकअप व्यवस्था हेतु सम्भाग स्तरीय जिला औषधी भण्डारों पर आरक्षित उपकरणों हेतु EMRW का गठन किया गया है।

उपरोक्त सन्दर्भ अनुसार प्रत्येक सम्भाग स्तरीय जिला औषधी भण्डार पर कन्सलटेंट बायोमेडिकल इन्जिनीयर के अधीन एक्स–रे मशीन पोर्टेबल, तीन सिंगल चैनल ई.सी.जी. मशीन, दो 3–पार्ट हीमेटोलोजी सेल काउन्टर एवं दो सेमी ऑटोऐनालाईजर EMRW में आरक्षित रखे जावेगे।

क्र. स.	जोन का नाम	उपकरण का नाम			
		एक्स–रे मशीन पोर्टेबल	ईसीजी मशीन	3 पार्ट सेल काउन्टर	सेमी ऑटोऐनालाईजर
1	जयपुर	2	3	2	2
2	भरतपुर	2	3	2	2
3	जोधपुर	2	3	2	2
4	अजमेर	2	3	2	2
5	उदयपुर	2	3	2	2
6	कोटा	2	3	2	2
7	बीकानेर	2	3	2	2
	योग	14	21	14	14

1. समस्त आरक्षित उपकरण सम्भाग स्तरीय जिला औषधि भण्डार (DDW) में ही स्थित EMRW में सम्भागीय कन्सलटेंट बायोमेडिकल इन्जीनियर के अधीन रहेगे। इन्हे चिकित्सालय में वैकल्पिक व्यवस्था के अलावा स्थाई स्थापित नहीं किया जावें।

2. सम्भाग में स्थित जिलों के राजकीय चिकित्सालय से किसी उपकरण के कार्यरत नहीं होने की सूचना प्राप्त होती है तो कन्सलटेट बायोमेडिकल इन्जिनीयर सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी से वार्ता कर वैकल्पिक व्यवस्था होने तक Backup व्यवस्था के लिय उपकरणों की उपलब्धता आरक्षित उपकरणों में से करायेंगे एवं खराब उपकरण को तुरन्त प्रभाव से फर्म से वार्ता कर ठीक कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

3. सम्भागीय कन्सलटेंट बायोमेडिकल इन्जिनीयर EMRW में उपलब्ध आरक्षित उपकरणों के साथ सप्लाई किये गये रिएजेन्ट एवं कन्ज्यूमेबल्स को अवधिपार होने से पूर्व सम्बन्धित चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार उपलब्ध करा देवे एवं उनके स्थान पर नये रिएजेन्ट एवं कन्ज्यूमेबल्स नियमानुसार क्रय कर आरक्षित उपकरण के साथ उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित करावे।

4. चिकित्सालय का उपरण ठीक होने के पश्चात सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी उक्त आरक्षित उपकरण को पुनः EMRW में स्थानान्तरित सुनिश्चित करावें।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

दूरभाषः 0141–2224878
ई–मेल rmsc.mnjy@gmail.com

एफ04 ( ) एमएनजेवाई/2013/ 6615
दिनांक 11/12/13

5. नये उपकरणों की मांग अधोहस्ताक्षरकर्ता को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की निर्धारित प्रक्रियानुसार इन्डेण्ट फॉर्म में भिजवायें तथा मांग पत्र की प्रति प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी. को सूचनार्थ प्रेषित करें। इस बाबत उपकरणों की दर, अनुबन्ध एवं कीमत आदि का विवरण राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की वेवसाइट www.rmsc.nic.in पर देखा जा सकता हैं।

(डॉ. बी. आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0, स्वा0 एवं परिवार कल्याण विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, NHM जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव चि0स्वा0 विभाग राज0।
4. समस्त जिला कलक्टर, राज0।
5. वित्तीय सलाहकार (जन स्वा0), मुख्यालय।
6. निदेशक एडस एवं नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना।
7. कार्यकारी निदेशक (वित/ई.पी.एम.), आर.एम.एस.सी.एल. जयपुर।
8. जिला परियोजना समन्वयक सम्बन्धित जिला जयपुर/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
9. समस्त कन्सलटेंट बायोमेडिकल इन्जिनीयर जयपुर/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
10. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र समस्त को ई–मेल कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
11. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. बी. आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

D:\Renu Kumawat\Hindi